



2026:AHC-LKO:12168

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

निर्णय सुरक्षित दिनांक : 19.01.2026

निर्णय घोषित दिनांक : 17.02.2026

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

लखनऊ खंडपीठ

रिट - सी संख्या - 383 वर्ष 2026

श्रीमती जोहरा बेगम उर्फ जोहरा खातून

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, के माध्यम से तथा 3 अन्य.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: राकेश कुमार सैनी

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता (सी.एस.सी.)

न्यायालय संख्या - 25

माननीय न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान

स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. प्रस्तुत रिट याचिका, जिला न्यायाधीश, गोंडा द्वारा सिविल अपील संख्या 54 वर्ष 2024, श्रीमती जोहरा बेगम उर्फ जोहरा खातून बनाम इश्हाक अली में पारित आदेश दिनांक 10.12.2025 को चुनौती देते हुए दाखिल की गई है। उक्त अपील, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (जिसे आगे "सी.पी.सी." कहा गया है) की धारा 96 के अंतर्गत दाखिल की गई थी। उक्त आदेश द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के अंतर्गत प्रस्तुत प्रतिस्थापन प्रार्थना-पत्र तथा विलम्ब-क्षमा प्रार्थना-पत्र को निरस्त कर दिया गया तथा एकमात्र प्रतिवादी की मृत्यु के कारण अपील को उपशमित मानते हुए खारिज कर दिया गया।
3. वर्तमान याचिका के निस्तारण हेतु प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता के पिता स्वर्गीय जुमई का दिनांक 08.04.2008 को निधन हो गया। उनके निधन के पश्चात् याचिकाकर्ता उत्तराधिकारी होने के नाते विवादित भूमि पर काबिज हुई तथा राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टियाँ कर याचिकाकर्ता का नाम कृषि भूमि एवं अन्य संपत्तियों की भूमिधर के रूप में दर्ज कर लिया गया।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की माता का भी दिनांक 08.03.2008 को, अर्थात् उसके पिता की मृत्यु से लगभग एक माह पूर्व, निधन हो गया था। तथापि, इश्हाक अली, जिसका विवादित संपत्ति पर कोई उत्तराधिकार संबंधी अधिकार नहीं था, ने एक कूटरचित (फर्जी) वसीयतनामा के आधार पर उसमें वर्णित कृषि भूमि पर स्वामित्व का दावा किया। याचिकाकर्ता को जब दिनांक 20.01.2006 के उक्त कथित कूटरचित वसीयतनामा की जानकारी हुई, तब उसने दिनांक 26.05.2008 को सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग), गोंडा के समक्ष वसीयतनामा निरस्तीकरण तथा स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु वाद दायर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया। उक्त वाद का निर्णय एकपक्षीय रूप से दिनांक 18.07.2011 को किया गया तथा वसीयतनामा निरस्त कर दिया गया। दिनांक 18.07.2011 के उक्त निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध इशहाक अली ने दिनांक 23.08.2011 को पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 13.03.2014 के आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया तथा एकपक्षीय निर्णय एवं आदेश को वापस कर लिया गया। तत्पश्चात्, अंततः याचिकाकर्ता द्वारा दायर वाद को दिनांक 22.11.2024 के एकपक्षीय निर्णय एवं आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने दिनांक 18.12.2024 को सिविल अपील संख्या 54 वर्ष 2024 प्रस्तुत की, जिसमें इशहाक अली को एकमात्र प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया गया।

5. याचिकाकर्ता का यह कथन है कि उसे इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि इशहाक अली का निधन दिनांक 10.07.2023 को हो चुका था, और इसी अज्ञानता में उसने मृत व्यक्ति के विरुद्ध अपील दायर कर दी। तथापि, जब उसे स्वर्गीय इशहाक अली की मृत्यु की जानकारी प्राप्त हुई, तब उसने आदेश 22 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विलम्ब-क्षमा प्रार्थना-पत्र सहित प्रतिस्थापन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर मृतक इशहाक अली के विधिक उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाए जाने का अनुरोध किया। प्रतीत होता है कि प्रतिस्थापन प्रार्थना-पत्र तथा विलम्ब-क्षमा प्रार्थना-पत्र पर नोटिस जारी किए गए, जिसके उपरान्त स्वर्गीय इशहाक अली के विधिक उत्तराधिकारियों ने दोनों प्रार्थना-पत्रों पर आपत्तियाँ दाखिल कीं। न्यायालय ने उक्त आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् विलम्ब-क्षमा प्रार्थना-पत्र को निरस्त कर दिया और परिणामस्वरूप प्रतिस्थापन प्रार्थना-पत्र भी निरस्त कर दिया। साथ ही, विवादित निर्णय एवं आदेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिनांक 10.12.2025 द्वारा अपील की कार्यवाही को उपशमित घोषित करते हुए समाप्त कर दिया।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि जिला न्यायाधीश, गोंडा ने प्रतिस्थापन प्रार्थना-पत्र दाखिल करने में हुई देरी को क्षमा करने संबंधी प्रार्थना-पत्र को गलत ढंग से निरस्त कर दिया है, क्योंकि अपील दायर करते समय याचिकाकर्ता को स्वर्गीय इशहाक अली की मृत्यु की जानकारी नहीं थी। यह भी तर्क दिया गया कि जैसे ही याचिकाकर्ता को इशहाक अली की मृत्यु का ज्ञान हुआ, उसने तत्काल विलम्ब-क्षमा प्रार्थना-पत्र के साथ प्रतिस्थापन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर दिया। अपीलीय न्यायालय ने विलम्ब-क्षमा प्रार्थना-पत्र तथा प्रतिस्थापन प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित कारणों का समुचित मूल्यांकन किए बिना ही दोनों प्रार्थना-पत्रों को निरस्त कर दिया, जो प्रथमदृष्टया अवैध है।
7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् विचारणीय प्रश्न यह है कि उस अपील का क्या परिणाम होगा जो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध दायर की गई हो जिसकी अपील दायर किए जाने से पूर्व ही मृत्यु हो चुकी थी और जो वाद का एकमात्र प्रतिवादी था।

याचिकाकर्ता ने मृत प्रतिवादी के विधिक उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाए जाने हेतु आदेश 22 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिस्थापन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. का प्रासंगिक अंश निम्नवत् है :—

4 - अनेक प्रतिवादियों में से किसी एक अथवा एकमात्र प्रतिवादी की मृत्यु होने की दशा में प्रक्रिया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(1) जहाँ दो या अधिक प्रतिवादियों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है और वाद का अधिकार केवल जीवित प्रतिवादी अथवा प्रतिवादियों के विरुद्ध शेष नहीं रहता, अथवा एकमात्र प्रतिवादी या जीवित बचे एकमात्र प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है तथा वाद का अधिकार जीवित रहता है, वहाँ इस संबंध में किए गए आवेदन पर न्यायालय मृत प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार बनाएगा और वाद की कार्यवाही आगे बढ़ाएगा।

(2) इस प्रकार पक्षकार बनाए गए व्यक्ति को मृत प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि के रूप में उपलब्ध सभी उपयुक्त प्रतिरक्षाएँ उठाने का अधिकार होगा।

(3) यदि उपनियम (1) के अंतर्गत विधि द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो वाद मृत प्रतिवादी के विरुद्ध उपशमित हो जाएगा।

(4) न्यायालय, जब वह उचित समझे, ऐसे प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता से वादी को मुक्त कर सकता है, जिसने लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया हो अथवा लिखित कथन प्रस्तुत करने के बाद भी सुनवाई में उपस्थित होकर वाद का प्रतिवाद न किया हो। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी की मृत्यु के बावजूद उसके विरुद्ध निर्णय दिया जा सकता है और ऐसा निर्णय वही प्रभाव एवं बल रखेगा मानो वह उसकी मृत्यु से पूर्व दिया गया हो।

(5) जहाँ—

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(क) वादी प्रतिवादी की मृत्यु से अनभिज्ञ था और इसी कारण वह सीमांकन अधिनियम, 1963 में निर्धारित अवधि के भीतर इस नियम के अधीन मृत प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सका, और परिणामस्वरूप वाद उपशमित हो गया हो; तथा— (शेष आगे) ।

(ख) यदि वादी, सीमांकन अधिनियम, 1963 में निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् उपशमन निरस्त किए जाने तथा उक्त अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत उस आवेदन को स्वीकार किए जाने हेतु यह कहते हुए आवेदन करता है कि प्रतिवादी की मृत्यु के संबंध में उसकी अज्ञानता के कारण वह निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सका था,

तो न्यायालय धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पर विचार करते समय, यदि ऐसी अज्ञानता सिद्ध हो जाती है, तो उस तथ्य को समुचित महत्व देगा।

8. उपर्युक्त प्रावधान के साधारण अवलोकन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि विधिक उत्तराधिकारियों के प्रतिस्थापन हेतु आवेदन तभी पोषणीय होता है जब प्रतिवादी की मृत्यु अपील की लंबित अवधि के दौरान हुई हो। वर्तमान वाद में यह निर्विवाद तथ्य है कि एकमात्र प्रतिवादी की मृत्यु अपील दायर किए जाने से पूर्व ही हो चुकी थी और अपील एक मृत व्यक्ति के विरुद्ध दायर की गई थी। अतः इस न्यायालय का मत है कि याचिकाकर्ता द्वारा आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के अंतर्गत प्रस्तुत प्रतिस्थापन प्रार्थना-पत्र प्रारम्भ से ही पोषणीय नहीं था।

9. विचारणीय दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसी स्थिति में, जब अपील दायर करने के बाद याचिकाकर्ता को एकमात्र प्रतिवादी की मृत्यु की जानकारी प्राप्त हुई, तब उसे कौन-सा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विधिक उपाय अपनाना चाहिए था। एक विकल्प यह हो सकता था कि याचिकाकर्ता आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. को धारा 151 तथा धारा 153 सी.पी.सी. के साथ पढ़ते हुए अपील में संशोधन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करती, जिससे मृत प्रतिवादी के विधिक उत्तराधिकारियों को अभिलेख पर लाया जा सके। किन्तु इस न्यायालय का मत है कि चूँकि अपील एक मृत व्यक्ति के विरुद्ध दायर की गई थी, इसलिए वह अपनी स्थापना से ही शून्य थी। ऐसी स्थिति में आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के अंतर्गत संशोधन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र भी पोषणीय नहीं होता।

10. एकमात्र प्रतिवादी, जिसकी अपील दायर किए जाने से पूर्व ही मृत्यु हो चुकी थी, के विधिक उत्तराधिकारियों को प्रतिस्थापित करने हेतु न तो आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के अंतर्गत और न ही आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के अंतर्गत कोई आवेदन स्वीकार किया जा सकता था। इसका कारण यह है कि वाद में केवल एक ही प्रतिवादी था और उसकी मृत्यु अपील संस्थित किए जाने से पूर्व ही हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में अपील स्वयं ही प्रारम्भ से शून्य थी। अतः आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के अंतर्गत अपील में संशोधन हेतु अथवा आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के अंतर्गत मूल प्रतिवादी का नाम हटाकर उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिस्थापित करने हेतु कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थिति में विधि द्वारा अनुमत एकमात्र उपाय यह था कि आदेश 23 नियम 1(3) सी.पी.सी. के अंतर्गत अपील वापस लेने का आवेदन प्रस्तुत किया जाता तथा एकमात्र मृत प्रतिवादी के विधिक उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाकर नई अपील दायर करने की स्वतंत्रता प्राप्त की जाती।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. यह प्रश्न इंदाना इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम सैंटाना मिगुएल फर्नांडीस, 2007 SCC ऑनलाइन बॉम्बे 381 वाद में बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष विचारार्थ आया था, जिसमें न्यायालय ने अनुच्छेद 6 एवं 7 में निम्नवत् प्रतिपादित किया :—

6. विद्वान विचारण न्यायालय ने सही टिप्पणी की है कि ऐसे एकमात्र प्रतिवादी, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, के विधिक उत्तराधिकारियों को अभिलेख पर नहीं लाया जा सकता, क्योंकि मृत व्यक्ति के विरुद्ध दायर वाद स्वयं ही शून्य होता है। वास्तव में, प्रतीत होता है कि इसी स्थिति से बचने के लिए वादी ने वाद वापस लेने का अनुरोध किया था, किन्तु यह कहते हुए उसे अस्वीकार कर दिया गया कि वाद स्वयं शून्य है।

7. निःसंदेह ऐसा वाद शून्य माना जाएगा और यह समझा जाएगा कि उसका विधिवत् संस्थापन ही नहीं हुआ। तथापि, इसका यह अर्थ नहीं है कि न्यायालय शुल्क अदा कर वाद दायर किए जाने के तथ्य की उपेक्षा कर दी जाए। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा मांगी गई वापसी को वाद दायर करने की भौतिक प्रक्रिया को वापस लेने के अनुरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए मृत व्यक्ति के विरुद्ध वाद दायर किया जाना आदेश 23 नियम 1(3) सी.पी.सी. के अर्थ में एक औपचारिक दोष माना जाएगा, क्योंकि यह दोष आवश्यक पक्षकारों के अभाव तथा अनुचित पक्षकारों के सम्मिलन की प्रकृति का है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. इसी प्रकार नसीम हुसैन बनाम महेंदर कौर, 2015 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 8414 वाद में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 4 में निम्न प्रकार कहा :—

4. वर्तमान वाद में याचिकाकर्ताओं ने वाद दायर करते समय विरसा सिंह को प्रतिवादी संख्या-1 बनाया था। किन्तु प्रतिवादी संख्या-1 विरसा सिंह का निधन दिनांक 22.12.1999 को ही हो चुका था, जबकि वाद वर्ष 2008 में दायर किया गया। यह तथ्य प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से लिखित कथन दाखिल करते समय उजागर किया गया। इसके पश्चात् याचिकाकर्ता संख्या-1 ने स्वर्गीय विरसा सिंह के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, किन्तु वह आवेदन निरस्त कर दिया गया। चूँकि प्रतिवादी संख्या-1 की मृत्यु वाद दायर किए जाने से पूर्व ही हो चुकी थी, इसलिए विचारण न्यायालय को याचिकाकर्ताओं को यह अनुमति देनी चाहिए थी कि वे वाद वापस ले लें तथा विधि के अनुसार उसी कारण-कार्यवाही पर नया वाद दायर कर सकें।

13. कर्नाटक हाई कोर्ट ने सी. मुट्द्र बनाम भारत मैच वर्क्स, शिवकाशी वाद में यह प्रतिपादित किया कि ऐसे वाद, जो किसी मृत व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित किए जाते हैं, प्रारम्भ से ही शून्य होते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे वाद में की गई समस्त कार्यवाहियाँ *non est* अर्थात् विधि की दृष्टि में अस्तित्वहीन मानी जाएँगी। सुविधा के लिए निर्णय का अनुच्छेद-9 निम्नानुसार है :—

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. विभिन्न उच्च न्यायालयों के उन निर्णयों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने पर, जो किसी वाद में मूल प्रतिवादी के स्थान पर अन्य व्यक्ति को प्रतिस्थापित करने के प्रश्न से संबंधित हैं, यह स्पष्ट होता है कि— (1) जहाँ केवल एक ही प्रतिवादी था, वहाँ किसी प्रकार का प्रतिस्थापन अनुमन्य नहीं है; (2) जहाँ एक से अधिक प्रतिवादी थे और उनमें से एक की मृत्यु वाद दायर किए जाने से पूर्व ही हो चुकी थी, वहाँ न्यायालयों ने यह माना है कि मृत प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाया जा सकता है, बशर्ते कि उनके द्वारा सीमाबद्धता का प्रश्न उठाया जाए तो उस पर विचार किया जाए, क्योंकि जीवित प्रतिवादियों के संबंध में वाद विधिवत् संस्थित माना जाता है; (3) जहाँ अपील ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध दायर की गई हो जिसकी मृत्यु अपील ज्ञापन प्रस्तुत किए जाने की तिथि से पूर्व हो चुकी थी, वहाँ न्यायालयों ने यह माना है कि अपीलकर्ता को मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने की अनुमति दी जा सकती है। दूसरे शब्दों में, ऐसे मामलों में प्रतिस्थापन अनुमन्य माना गया है। इस दृष्टिकोण का आधार यह है कि अपील मूल कार्यवाही की निरंतरता होती है। चूँकि मूल वाद वैध रूप से संस्थित हुआ था और प्रतिवादी की मृत्यु बाद में हुई, इसलिए आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के अंतर्गत उसके विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने हेतु आवेदन पोषणीय माना जाता है। किन्तु जिन मामलों में केवल एक ही प्रतिवादी था और उसकी मृत्यु वाद संस्थित किए जाने से पूर्व ही हो चुकी थी, उन सभी मामलों में उच्च न्यायालयों ने यह माना है कि ऐसा वाद शून्य होता है तथा वादपत्र में संशोधन कर मूल प्रतिवादी का नाम हटाकर किसी



अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर प्रतिस्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कराची नगर निगम बनाम बाराडियोजुम् मुगल AIR 1946 सिंध 20 वाद में न्यायमूर्ति थडानी ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों की समीक्षा करते हुए यह प्रतिपादित किया कि किसी ऐसे वाद में, जो किसी मृत व्यक्ति के विरुद्ध दायर किया गया हो, न्यायालय को आदेश 1 नियम 10 अथवा आदेश 22 नियम 4 एवं 9 के अधीन कोई आवेदन स्वीकार करने या सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा अधिकृत किसी अन्य कार्यवाही को संपादित करने का कोई अधिकार-क्षेत्र प्राप्त नहीं होता, क्योंकि मृत व्यक्ति के विरुद्ध दायर वाद स्वयं प्रारम्भ से ही शून्य होता है। माननीय न्यायाधीश ने यह भी कहा कि वादी की सद्भावना अथवा दुर्भावना का इस प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यद्यपि इस विषय पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कोई प्रत्यक्ष निर्णय उपलब्ध नहीं है, तथापि हीरा लाल बनाम काली नाथ वाद में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई कुछ टिप्पणियाँ इस दृष्टिकोण का समर्थन करती हैं कि मृत व्यक्ति के विरुद्ध दायर वाद शून्य होता है। इसके पश्चात् माननीय मुख्य न्यायाधीश ने निम्न प्रकार कहा:—

“उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने का एकमात्र आधार यह है कि बम्बई उच्च न्यायालय की मूल वादिता में संस्थित वाद क्षेत्रीय अधिकारिता के अभाव में पूर्णतः अयोग्य था और परिणामस्वरूप पक्षकारों के मध्य किए गए संदर्भ पर पारित मध्यस्थ निर्णय तथा उसके आधार पर पारित डिक्री, जिसका निष्पादन किया जा रहा है, सभी शून्य एवं अवैध हैं। इस तर्क के समर्थन में लेडगार्ड बनाम बुल,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13 इंड ऐप 134 (PC) के निर्णय पर विशेष रूप से निर्भरता व्यक्त की गई। हमारे मत में इस तर्क में कोई सार नहीं है। जिस वाद को डिक्लीधारक-वादी द्वारा बम्बई उच्च न्यायालय में संस्थित किया गया था, उसमें न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र का कोई अंतर्निहित अभाव नहीं था। वादपत्र लेटर्स पेटेंट के खण्ड 12 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के पश्चात प्रस्तुत किया गया था। प्राप्त की गई अनुमति विधिसम्मत रूप से प्राप्त हुई थी अथवा नहीं, यह ऐसा प्रश्न नहीं है जिसे निष्पादन की कार्यवाही में उठाया जा सके। किसी डिक्ली की वैधता को निष्पादन कार्यवाही में केवल इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि डिक्ली पारित करने वाले न्यायालय में अंतर्निहित अधिकारिता का अभाव था, अर्थात् न्यायालय उस वाद का संज्ञान लेने में ही सक्षम नहीं था क्योंकि वाद-विषय उसकी अधिकारिता से पूर्णतः बाहर था, अथवा प्रतिवादी वाद संस्थित किए जाने या डिक्ली पारित किए जाने के समय मृत था, अथवा ऐसा कोई अन्य कारण विद्यमान था जिससे न्यायालय वाद-विषय अथवा उसके पक्षकारों के संबंध में पूर्णतः अधिकारिता-विहीन हो जाता। किन्तु वर्तमान मामले में अधिकारिता का ऐसा कोई अंतर्निहित अभाव नहीं था।”

14. वर्तमान मामले में यह न्यायालय पाता है कि याचिकाकर्ता ने अज्ञानतावश एक मृत व्यक्ति के विरुद्ध अपील दायर कर दी। यह एक “औपचारिक दोष” है, क्योंकि यह आवश्यक पक्षकारों के अभाव तथा अनुचित पक्षकार के समावेशन का मामला है। ऐसी स्थिति में उचित विधिक उपाय यह था कि याचिकाकर्ता आदेश 23

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नियम 1(3) सी.पी.सी. के अंतर्गत अपील वापस लेने तथा नई अपील दायर करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करता।

15. वी. राजेंद्रन बनाम अन्नासामी पांडियन, (2017) 5 एससीसी 63 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न विचाराधीन था कि वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद दायर किया गया था। लिखित कथन दाखिल होने के पश्चात वादी को ज्ञात हुआ कि प्रतिवादियों ने वादग्रस्त संपत्ति (सर्वे संख्या 192/9) के संबंध में पट्टा स्थानांतरित करते समय उसे सर्वे संख्या 192/14 के रूप में दर्ज कर दिया था। वाद दायर किए जाने के समय यह तथ्य वादी की जानकारी में नहीं था। फलस्वरूप वादी ने आदेश 23 नियम 1(3) सी.पी.सी. के अंतर्गत वाद वापस लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। किन्तु उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण दायर होने पर यह कहते हुए विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त कर दिया गया कि वादी न तो किसी "औपचारिक दोष" को सिद्ध कर सका और न ही वाद वापस लेने के लिए पर्याप्त आधार स्थापित कर सका।

संदर्भ की सुविधा हेतु वी. राजेंद्रन (उपर्युक्त) के अनुच्छेद 8 से 13 निम्नवत् उद्धृत किए गए हैं :—

8. उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया कि वाद वापस लेने हेतु प्रस्तुत आवेदन में अपीलकर्ताओं द्वारा दर्शाया गया दोष "औपचारिक दोष" की श्रेणी में नहीं आता तथा आदेश 23 नियम 1(3) सी.पी.सी. में निहित वाद-वापसी की व्यवस्था का पक्षकारों द्वारा दुरुपयोग किए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उच्च न्यायालय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि अपीलकर्ता लगभग एक दशक तक वाद के विचारण में भाग लेते रहे और जब वाद अतिरिक्त मुद्दों के निर्धारण तथा अतिरिक्त साक्षियों की परीक्षा के लिए सूचीबद्ध हुआ, तब उन्होंने अचानक वाद वापस लेने का आवेदन प्रस्तुत कर दिया। न्यायालय के अनुसार जिस आधार पर वाद वापस लेने की मांग की गई थी, उसका समाधान आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. के अंतर्गत संशोधन आवेदन द्वारा सरलता से किया जा सकता था। उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि अपीलकर्ता न तो किसी "औपचारिक दोष" को सिद्ध कर सके और न ही वाद वापस लेने के लिए "पर्याप्त आधार" स्थापित कर सके।

9. आदेश 23 नियम 1(3) सी.पी.सी. उन आधारों का प्रावधान करता है जिनके आधार पर न्यायालय वाद वापस लेने की अनुमति प्रदान कर सकता है। उक्त प्रावधान इस प्रकार है:—

"1. वाद का परित्याग अथवा दावे के किसी भाग का त्याग—(1)–(2) xxx

(3) जहाँ न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाए—

(क) कि वाद किसी औपचारिक दोष के कारण अनिवार्यतः विफल हो जाएगा; अथवा

(ख) कि वादी को वाद-विषय अथवा दावे के किसी भाग के संबंध में नया वाद संस्थित करने की अनुमति देने हेतु पर्याप्त आधार विद्यमान हैं, तो न्यायालय ऐसी शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, वादी को उस वाद



अथवा दावे के किसी भाग को वापस लेने तथा उसी वाद-विषय अथवा दावे के संबंध में नया वाद संस्थित करने की स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है।”

(बल दिया गया)

आदेश 23 नियम 1(3) सी.पी.सी. के अनुसार, नया वाद दायर करने की स्वतंत्रता सहित वाद वापस लेने की अनुमति तभी दी जा सकती है जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वाद किसी औपचारिक दोष के कारण विफल होने वाला है; अथवा नया वाद दायर करने की अनुमति प्रदान करने हेतु अन्य पर्याप्त आधार विद्यमान हैं। वाद वापस लेने की अनुमति प्रदान करने की शक्ति विवेकाधीन है। वादी को अपने आवेदन में यह स्थापित करना होता है कि उसका मामला आदेश 23 नियम 1(3)(क) अथवा 1(3)(ख) सी.पी.सी. के अंतर्गत आता है तथा उसे न्यायालय से आवश्यक अनुमति भी मांगनी होती है। न्यायालय आदेश 23 नियम 1(3) सी.पी.सी. के अंतर्गत वाद वापस लेने तथा नवीन वाद संस्थित करने की स्वतंत्रता तभी प्रदान कर सकता है, जब उपधारा (क) अथवा (ख) में निहित किसी एक शर्त का अस्तित्व सिद्ध हो जाए, अर्थात् ‘औपचारिक दोष’ अथवा ‘पर्याप्त आधार’ विद्यमान हों। आदेश 23 नियम 1(3) सी.पी.सी. में निहित सिद्धांत लोकनीति पर आधारित है, जिसका उद्देश्य एक ही कारण-कार्यवाही के आधार पर बार-बार वाद संस्थित किए जाने को रोकना है।”

10. के.एस. में भूपति बनाम कोकिला [के.एस. भूपति बनाम कोकिला,

(2000) 5 एससीसी 458] में यह प्रतिपादित किया गया है कि आदेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



23 नियम 1(3) सी.पी.सी. के अंतर्गत उसी कारण-कार्यवाही पर नया वाद दायर करने की स्वतंत्रता सहित वाद वापस लेने की अनुमति प्रदान करने से पूर्व न्यायालय का यह संतुष्ट होना आवश्यक है कि "औपचारिक दोष" अथवा "पर्याप्त आधार" विद्यमान हैं। यद्यपि किसी वादी को, "औपचारिक दोष" अथवा "पर्याप्त आधार" सिद्ध कर देने पर, वाद संस्थित होने के पश्चात् किसी भी समय वाद वापस लेने का अधिकार प्राप्त हो सकता है, तथापि इस अधिकार को इतना निरपेक्ष नहीं माना जा सकता कि वह न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को प्रोत्साहित करे या उसकी अनुमति दे। केवल इस कारण कि वादी को वाद अथवा उसके किसी भाग का परित्याग अथवा प्रत्याहरण करने का अधिकार प्राप्त है, उसे यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वह ऐसा प्रतिवादी के वैध अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिए करे। जब आदेश 23 नियम 1(3) सी.पी.सी. के अंतर्गत कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तब न्यायालय का "औपचारिक दोष" अथवा "पर्याप्त आधार" के अस्तित्व के संबंध में संतुष्ट होना आवश्यक है। "औपचारिक दोष" से अभिप्राय प्रक्रिया संबंधी नियमों द्वारा निर्धारित स्वरूपगत त्रुटियों से है, जैसे— धारा 80 सी.पी.सी. के अधीन आवश्यक नोटिस का अभाव, वाद का अनुचित मूल्यांकन, अपर्याप्त न्यायालय शुल्क, वादग्रस्त संपत्ति की पहचान के संबंध में भ्रम, पक्षकारों का अनुचित संयोजन, कारण-कार्यवाही का प्रकटन न होना, आदि। "औपचारिक दोष" शब्द को उदारतापूर्वक व्याख्यायित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार की ऐसी त्रुटियों को इंगित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करता है जो किसी भी पक्ष द्वारा उठाए गए दावों के गुण-दोष को प्रभावित नहीं करती।

11. आदेश 23 नियम 1(3)(ख) सी.पी.सी. के अनुसार, जहाँ न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि वादी को नया वाद संस्थित करने की अनुमति देने हेतु पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं, वहाँ वह वादी को वाद वापस लेने की अनुमति प्रदान कर सकता है। “पर्याप्त आधार” शब्दों की व्याख्या के संबंध में दो मत प्रचलित हैं— पहला मत यह है कि उपधारा (ख) में वर्णित आधार, उपधारा (क) में वर्णित आधारों के समान प्रकृति के होने चाहिए, अर्थात् वे “औपचारिक दोष” के समान या उसके अनुरूप होने चाहिए। दूसरा मत यह है कि उपधारा (ख) में प्रयुक्त “अन्य पर्याप्त आधार” शब्दों को “औपचारिक दोष” तथा उपधारा (क) से स्वतंत्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। इस प्रकार न्यायालय को न्यायहित में उन मामलों में भी वाद वापस लेने की अनुमति देने हेतु व्यापक विवेकाधिकार प्रदान किया गया है, जो उपधारा (क) के अंतर्गत नहीं आते। चूँकि वर्तमान मामले में हमारा सरोकार केवल नियम 1(3)(क) में निहित “औपचारिक दोष” से है, इसलिए नियम 1(3)(ख) में वर्णित “पर्याप्त आधार” के संबंध में विस्तृत चर्चा करना आवश्यक नहीं है।

12. वर्तमान मामले में अपीलकर्ताओं ने वादग्रस्त संपत्ति का विवरण सर्वे संख्या 192/9 के रूप में अंकित करते हुए वाद दायर किया था, जबकि कहा गया है कि प्रतिवादियों ने उसी संपत्ति का पट्टा सर्वे संख्या 192/14 के रूप में स्थानांतरित कर दिया। वादग्रस्त संपत्ति की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सर्वे संख्या में यह त्रुटि वाद-विषय के मूल आधार से संबंधित है। यदि डिक्लीधारक डिक्ली का सफलतापूर्वक निष्पादन ही न करा सके, तो संपूर्ण कार्यवाही निरर्थक हो जाएगी। अतः उक्त त्रुटि आदेश 23 नियम 1(3)(क) सी.पी.सी. के अर्थ में "औपचारिक दोष" मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त, यह भी कहा गया है कि प्रतिवादियों ने दिनांक 21.09.2012 को अपने पुत्र अरनमनई पांडियन के पक्ष में एक इनाम सेटलमेंट डीड निष्पादित की, जिसमें वादग्रस्त संपत्ति का उल्लेख सर्वे संख्या 192/14 के रूप में किया गया। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अपीलकर्ताओं का मामला नियम 1(3) सी.पी.सी. की उपधारा (क) के अंतर्गत आता है।

13. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में विचारण न्यायालय ने आवेदन में वर्णित तथ्यों को वाद वापस लेने के आधार के रूप में स्वीकार किया। विचारण न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकालना कि वाद एक "औपचारिक दोष" से ग्रस्त था और इसी आधार पर अपीलकर्ताओं को वाद वापस लेने तथा नवीन वाद संस्थित करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए, पूर्णतः सही था। हमारे विचार में उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के उस विवेकाधिकार में हस्तक्षेप करना उचित नहीं था, जिसके अंतर्गत अपीलकर्ताओं को वाद वापस लेने तथा नया वाद दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। विचारण न्यायालय के आदेश के आधार पर अपीलकर्ता पहले ही जिला मुंसिफ न्यायालय के समक्ष नया वाद संस्थित कर चुके हैं, जो ओ.एस. संख्या 11 सन् 2015 के रूप में



पंजीकृत है। प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने दिनांक 09.03.2015 को अन्नासामी पांडियन बनाम वी. राजेंद्रन, 2015 एससीसी ऑनलाइन मैड 261: (2015) 2 एलडब्ल्यू 360 में आदेश पारित करते समय अपीलकर्ताओं द्वारा दायर उक्त वाद को ध्यान में नहीं रखा। मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश विधि की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है।

(बल दिया गया)

16. उपर्युक्त चर्चा से निम्नलिखित निष्कर्ष संक्षेप में निकाले जा सकते हैं:—

(क) किसी ऐसे एकमात्र प्रतिवादी के विरुद्ध दायर वाद अथवा अपील, जिसकी मृत्यु वाद/अपील दायर किए जाने से पूर्व ही हो चुकी हो, अपने प्रारम्भ से ही शून्य तथा विधि की दृष्टि में अस्तित्वहीन होती है।

(ख) ऐसे वाद अथवा अपील में न तो आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के अंतर्गत और न ही आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के अंतर्गत कोई आवेदन पोषणीय होता है।

(ग) चूँकि ऐसा वाद अथवा अपील प्रारम्भ से ही शून्य होता है, अतः उसके उपशमित होने के आधार पर उसे निरस्त किए जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(घ) ऐसे एकमात्र प्रतिवादी के विरुद्ध दायर वाद अथवा अपील, जिसकी मृत्यु वाद/अपील दायर होने से पूर्व हो चुकी हो, आवश्यक पक्षकार के अनुचित संयोजन के दोष से ग्रस्त होती है, जो कि एक "औपचारिक दोष" है। ऐसी स्थिति में उचित विधिक उपाय यह है कि आदेश 23 नियम 1(3) सी.पी.सी. के अंतर्गत वाद/अपील वापस लेने तथा नवीन वाद/अपील दायर करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

17. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि याचिकाकर्ता द्वारा मृत व्यक्ति (एकमात्र प्रतिवादी) के विरुद्ध दायर सिविल अपील संख्या 54 सन् 2024 प्रारम्भ से ही शून्य थी। अतः याचिकाकर्ता द्वारा आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के अंतर्गत प्रस्तुत प्रतिस्थापन आवेदन तथा विलम्ब क्षमा आवेदन स्वयं ही पोषणीय नहीं थे। ऐसी स्थिति में अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता के लिए उचित विधिक उपाय यह था कि वह आदेश 23 नियम 1(3) सी.पी.सी. के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर अपील वापस लेने तथा स्वर्गीय इशहाक अली के विधिक उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाते हुए नवीन अपील दायर करने की अनुमति प्राप्त करता।

18. जिला न्यायाधीश, गोंडा ने अपने विवादित आदेश दिनांक 10.12.2025 द्वारा आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के अंतर्गत प्रस्तुत प्रतिस्थापन आवेदन को विलम्ब के आधार पर निरस्त कर दिया, जबकि जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है, उक्त आवेदन स्वयं ही पोषणीय नहीं था। अतः इस सीमा तक दिनांक 10.12.2025 के आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तथापि, यह न्यायालय पाता है कि दिनांक 10.12.2025 का आदेश पारित करते

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

समय जिला न्यायाधीश, गोंडा ने यह भी अभिलिखित किया कि अपील उपशमित हो गई है तथा उसे अभिलेखागार में भेज दिया गया है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के प्रावधान उन मामलों में लागू होते हैं, जहाँ कोई पक्षकार कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान मृत्यु को प्राप्त हो जाता है; न कि उन मामलों में, जहाँ वाद अथवा अपील अपने प्रारम्भ से ही शून्य हो। ऐसी स्थिति में कोई लंबित कार्यवाही अस्तित्व में ही नहीं रहती, जिसमें प्रतिस्थापन का आवेदन प्रस्तुत किया जा सके। फलस्वरूप, ऐसे वाद अथवा अपील के उपशमन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। यह सिद्धांत निरन्तर रूप से प्रतिपादित किया गया है कि संस्थापन के समय किसी मृत व्यक्ति के विरुद्ध दायर वाद अथवा अपील शून्य होती है। यह सिद्धांत उस मूलभूत विधिक अवधारणा पर आधारित है कि मृत व्यक्ति का कोई विधिक अस्तित्व नहीं होता; अतः उसके विरुद्ध न तो वाद दायर किया जा सकता है और न ही उसे किसी न्यायिक कार्यवाही का पक्षकार बनाया जा सकता है।

19. अतः सिविल अपील संख्या 54 सन् 2024, श्रीमती जोहरा बेगम उर्फ जोहरा खातून बनाम इशहाक अली में जिला न्यायाधीश, गोंडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.12.2025, जहाँ तक यह अभिलिखित करता है कि अपील उपशमित हो गई है, विधिसम्मत नहीं है; क्योंकि अपील स्वयं अपने प्रारम्भ से ही शून्य थी। इसलिए अपील को उपशमित मानकर निरस्त किए जाने का कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। वास्तव में अपील के संस्थापन में एक "औपचारिक दोष" विद्यमान था, क्योंकि एक ऐसे मृत व्यक्ति को एकमात्र प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया गया था, जिसकी मृत्यु अपील दायर किए जाने से पूर्व ही हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में उचित विधिक उपाय यह था कि आदेश 23 नियम 1(3) सी.पी.सी. के अंतर्गत अपील वापस लेने तथा स्वर्गीय इशहाक अली के विधिक उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाते हुए नवीन अपील दायर करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



20. अतः वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह व्यवस्था प्रदान की जाती है कि यदि याचिकाकर्ता आज से एक माह की अवधि के भीतर आदेश 23 नियम 1(3) सी.पी.सी. के अंतर्गत अपील वापस लेने तथा स्वर्गीय इशहाक अली के विधिक उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाकर नवीन अपील दायर करने की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत करता/करती है, तो विद्वान अपीलीय न्यायालय उस आवेदन पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार करेगा तथा विधि के अनुसार उपयुक्त आदेश पारित करेगा। आखिरकार, प्रक्रिया का उद्देश्य न्याय के प्रशासन को सुगम बनाना है, न कि उसे विफल करना।

21. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय,)

दिनांक : 17 फरवरी, 2026

आशीष देवल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated version. not for legal use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।